ऑन लाईन नं.RCMS2022/96

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 15/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री प्रकाश कश्यप पुत्र श्री हरिराम कश्यप जाति कश्यप निवासी 43 डी. ब्लॉक, श्रीगंगानगर। —विकेता एवं मालिक—

मै0 न्यू हरिराम हलवाई, 43 डी ब्लॉक, वकीलो की डिग्गी, श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 23.06.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.11.2021 को दोपहर बाद 2.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री प्रकाश कश्यप पुत्र श्री हरिराम कश्यप जाति कश्यप निवासी 43 डी. ब्लॉक, श्रीगंगानगर मैसर्स न्यू हरिराम हलवाई, 43 डी ब्लॉक, वकीलो की डिग्गी, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री प्रकाश कश्यप पुत्र श्री हरिराम कश्यप जाति कश्यप निवासी 43 डी. ब्लॉक, श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विकेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **40 किलो बेसन चक्की घी से निर्मित** विक्रय हेतु रखी थी। शुद्वता की जांच हेतु विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विकेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विकता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **40 किलो बेसन चक्की घी से निर्मित** मे से 2 किलो **बेसन चक्की घी से निर्मित** के नमूने वास्ते लिए एवं जिसके पेटे 560/—रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विकेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा 40 किलो बेसन चक्की घी से निर्मित में से 02 किलो बेसन चक्की के नमूने लिये। जिसको मूल व पैक अलग–अलग भाग में प्रत्येक का लेबल तैयार कर नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के–1260 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और डिब्बे को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप के–1260 नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण के–1260 बेसन चक्की घी से निर्मित लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री प्रकाश कश्यप पुत्र श्री हरिराग कश्यप ,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/487/एक्ट/2021/475 दिनांक 18.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1260 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री प्रकाश कश्यप पुत्र श्री हरिराम कश्यप जाति कश्यप निवासी 43 डी. ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Besan Chakki Mithai (Made in Ghee)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी की दुकान से दिनांक 30.10.2021 को बैसन चक्की का एक नमूना (सैम्पल) लिया गया था जो कि नमूना लेने की प्रकिया का पालन किये बिना लिया गया था।
2. उक्त प्रकरण में दिनांक 30.10.2021 को 2.00 पी.एम. पसर दौराने निरीक्षण नमूना लिया गया जो कि दिनांक 31.10.2021 को खाद्य विश्लेषक (Food Anaylist) बीकानेर के पास जमा करवा लिया था जिसके द्वारा नमूने का विश्लेषण दिनांक 11.11.2021 से 18.11.2021 को किया जाकर दिनांक 18.11.2021 को अपनी रिपोर्ट बनाकर अभिहित अधिकारीकम चीफ मेडिकल हैल्थ ओफिसर को भिजवायी गयी, जबकि उक्त एक्ट की धारा 46(3) के अनुसार खाद्य विश्लेषण के द्वारा नमूना प्राप्त होने की तारीख से 14

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक विश्लेषण किया जाना चाहिये जो कि खाद्य विश्लेषक के द्वारा नहीं किया गया। सैम्पल नमूना दिनांक 31.10.2021 को प्राप्त किया गया जिसका विश्लेषण दिनांक 11.11.2021 से 18.11.2021 तक किया गया जो उक्त खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(3) की अवहेलना करते हुए 18 दिनों में किया गया जबकि उक्त अधिनियम की धारा 46(3) के अन्त में Provided that कर लेख है **"यह नमूने की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर उसका विश्लेषण न होने सकने की दशा में खाद्य विश्लेषण अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण बताते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना देगा।** " यह प्रावधान खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के नियम 2.4.2 खाद्य विश्लेषक द्वारा खाद्य नमूना का विश्लेषण की उपमद (5)(6) में भी लेख किया गया है परन्तु उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक के द्वारा नमूने की जांच 14 दिनो के बजाय 18 दिना में की गयी परन्तु उक्त देरी के सम्बन्ध में अभिहित अधिकारी और खद्य सुरक्षा आयुक्त को कोई भी कारण बताते हुए सूचना नहीं देकर उक्त विधि के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः उक्त विश्लेषण अधिनियम की धारा 46(3) की स्पष्ट रूप से अवेहलना में किया गया होने के कारण उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है एवं उक्त आधार पर ही प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि उक्त सैम्पल की रिपोर्ट के निष्कर्ष में खाद्य विश्लेषक ने अपनी राय दी है कि "The sample of Besan Chakki Mithai (Made in Ghee) bearing Code No. and Sr. No. K-1260 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Ghee as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive)Regulations, 2011." एवं उक्त सैम्पल की रिपोर्ट की कम संख्या 1 में B R Reading of extracted fat at 40.C जबकि 6 Reichert value of extracted fat 23.65 जवकि Prescibed Standard Minimum 26.0 है। इस प्रकार से उक्त रिपोर्ट में उक्त दो कमों में भी मामूली सी भिन्नता है जबकि शेष पांचो कमांकों कम संख्या 2ए3ए4ए5ए व 6 में रिपोर्ट Prescibed Standard के अनुसार सही है। इस प्रकार से कम संख्या 1 व 6 में मामूली सी भिन्नता प्राकृतिक कारणों से आयी है जो कि मानव अभिकरण के नियन्त्रण से परे है जब ऐसी वस्तु असुरक्षित या अवमानक या बाह्य वस्तु से युक्त खाद्य नहीं माना जायेगा। उक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 48(2) ख में स्पष्ट लेख है कि "यह तथ्य की जहां ऐसे किसी वस्तु की जो प्राथमिक खा है , क्वालिटी या शुद्वता विनिर्दिष्ट मानकों से नीचे गिर गई है या उसके संघटक ऐसी मात्राओं में विद्यमान है जो भिन्नता की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर नहीं आती और दोनो ही मामलों में प्राकृतिक कारणो से हुई है तथा मानव अभिकरण के नियंत्रण से परे है तब ऐसी वस्तु असुरक्षित या अवमानक या बाह्य वस्तु से युक्त खाद्य नहीं माना जाएगा। " इस प्रकार से धारा 48 (2) ख के मध्यनजर रखते हुए प्रकरण चलने योग्य नहीं है एवं उक्त आधार पर ही प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

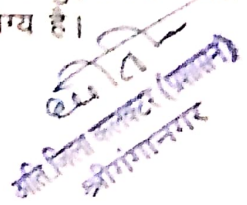

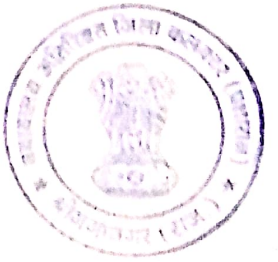

4. यह कि खाद्य विश्लेषक के द्वारा उक्त विधिनुसार उक्त नमूना जॉच की रिपोर्ट जिससे नमूना लिया गया है को भिजवाई जानी थी जो कि खाद्य विश्लेषक के द्वारा नहीं भिजवायी गयी। उक्त विधि की अवहेलना के कारण उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है।
5. यह कि अप्रार्थी को रिपोर्ट जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.12.2021 के द्वारा जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाई गयी है परन्तु खाद्य विश्लेषक के द्वारा कोई भी रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी उक्त रिपोर्ट समयवधि में नहीं भिजवाये जाने के कारण अप्रार्थी अपने अधिकार से वंचित हो गया।
6. यह कि अप्रार्थी के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा 2(ii) एवं नियमों का कोई भी उल्लधंन नहीं किया गया है जब कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य विश्लेषक के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 46 की पालना नहीं की जाकर समयवधि के पश्चात् खाद्य नमूने का विश्लेषण किया गया है जो कि विधि विरूद्व है।

अतः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि ऊपर वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखतें हुए अप्रार्थी को दिये गये नोटिस में वर्णित कार्यवाही को ड्राप किया जाने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Besan Chakki Mithai (Made in Ghee)** का सैम्पल K-1260 जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/487/एक्ट/2021/475 दिनांक 18.11.2021 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 30.10.2021 को 2.00 पी.एम. पसर दौराने निरीक्षण नमूना लिया गया जो कि दिनांक 31.10.2021 को खाद्य विश्लेषक (Food Anaylist) बीकानेर के पास जमा करवा लिया था जिसके द्वारा नमूने का विश्लेषण दिनांक 11.11.2021 से 18.11.2021 को किया जाकर दिनांक 18.11.2021 को अपनी रिपोर्ट बनाकर अभिहित अधिकारीकम चीफ मेडिकल हैल्थ ओफिसर को भिजवायी गयी, जबकि उक्त एक्ट की धारा 46(3) के अनुसार खाद्य विश्लेषण के द्वारा नमूना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक विश्लेषण किया जाना चाहिये जो कि खाद्य विश्लेषक के द्वारा नहीं किया गया। सैम्पल नमूना दिनांक 31.10.2021 को प्राप्त किया गया जिसका विश्लेषण दिनांक 11.11.2021 से 18.11.2021 तक किया गया जो उक्त खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(3) की अवहेलना करते हुए 18 दिनों में किया गया जबकि उक्त अधिनियम की धारा 46(3) के अन्त में Provided that कर लेख है **"यह नमूने की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर उसका विश्लेषण न होने सकने की दशा में खाद्य विश्लेषण अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण बताते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना देगा। "** यह प्रावधान खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के नियम 2.4.2 खाद्य विश्लेषक द्वारा खाद्य नमूना का विश्लेषण की उपमद (5)(6) में भी लेख किया गया है परन्तु उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक के द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नमूने की जांच 14 दिनो के बजाय 18 दिना में की गयी परन्तु उक्त देरी के सम्बन्ध में अभिहित अधिकारी और खद्य सुरक्षा आयुक्त को कोई भी कारण बताते हुए सूचना नहीं देकर उक्त विधि के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः उक्त विश्लेषण अधिनियम की धारा 46(3) की स्पष्ट रूप से अवेहलना में किया गया होने के कारण उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है। उक्त सैम्पल की रिपोर्ट के निष्कर्ष में खाद्य विश्लेषक ने अपनी राय दी है कि "The sample of Besan Chakki Mithai (Made in Ghee) bearing Code No. and Sr. No. K-1260 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Ghee as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive)Regulations, 2011." एवं उक्त सैम्पल की रिपोर्ट की कम संख्या 1 में B R Reading of extracted fat at 40.C जबकि 6 Reichert value of extracted fat 23.65 जबकि Prescibed Standard Minimum 26.0 है। इस प्रकार से उक्त रिपोर्ट में उक्त दो कमों में भी मामूली सी भिन्नता है जबकि शेष पांचो कमांकों कम संख्या 2ए3ए4ए5ए व 6 में रिपोर्ट Prescibed Standard के अनुसार सही है। इस प्रकार से कम संख्या 1 व 6 में मामूली सी भिन्नता प्राकृतिक कारणों से आयी है जो कि मानव अभिकरण के नियन्त्रण से परे है जब ऐसी वस्तु असुरक्षित या अवमानक या बाहा वस्तु से युक्त खाद्य नहीं माना जायेगा। उक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 48(2) ख में स्पष्ट लेख है कि "यह तथ्य की जहां ऐसे किसी वस्तु की जो प्राथमिक खा है , क्वालिटी या शुद्वता विनिर्दिष्ट मानकों से नीचे गिर गई है या उसके संघटक ऐसी मात्राओं में विद्यमान है जो भिन्नता की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर नहीं आती और दोनो ही मामलों में प्राकृतिक कारणो से हुई है तथा मानव अभिकरण के नियंत्रण से परे है तब ऐसी वस्तु असुरक्षित या अवमानक या बाह्य वस्तु से युक्त खाद्य नहीं माना जाएगा। " इस प्रकार से धारा 48 (2) ख के मध्यनजर रखते हुए प्रकरण चलने योग्य नहीं है एवं उक्त आधार पर ही प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।खाद्य विश्लेषक के द्वारा उक्त विधिनुसार उक्त नमूना जॉच की रिपोर्ट जिससे नमूना लिया गया है को भिजवाई जानी थी जो कि खाद्य विश्लेषक के द्वारा नहीं भिजवायी गयी। उक्त विधि की अवहेलना के कारण उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी को रिपोर्ट जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.12.2021 के द्वारा जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाई गयी है परन्तु खाद्य विश्लेषक के द्वारा कोई भी रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी उक्त रिपोर्ट समयवधि में नहीं भिजवाये जाने के कारण अप्रार्थी अपने अधिकार से वंचित हो गया। अप्रार्थी के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा 2(ii) एवं नियमों का कोई भी उल्लधंन नहीं किया गया है जब कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य विश्लेषक के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 46 की पालना नहीं की जाकर समयवधि के पश्चात् खाद्य नमूने का विश्लेषण किया गया है जो कि विधि विरूद्व है। ऊपर वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखतें हुए अप्रार्थी को दिये गये नोटिस में वर्णित कार्यवाही को ड्राप किया जाने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Besan Chakki Mithai (Made in Ghee) "Code No and Sr. No. K-1260 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as extracted fat does not conform the standard of Ghee prescribed in Food Safety and standards (Food Products Standaards and Food Additive) Regulations,2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त प्रकाश कश्यप को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त प्रकाश कश्यप को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Besan Chakki Mithai (Made in Ghee)** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर